संख्या– 369 /XXIV–2/2005

प्रेषक,

एस0के0माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 12 मई, 2005

विषय– इण्टर कालेज आई0डी0पी0एल0 बीरभद्र ऋषिकेश, जनपद देहरादून के प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियो0–1/44275/आई0डी0पी0एल0 /(प्रान्तीयकरण) (पद सृजन)/ 2004–05 दिनांक 01–3–2005 एवं शासनादेश संख्या–शि0मं0–19/माध्यमिक/2003 दिनांक 07–11–2003 व शासनादेश संख्या–शि0मं0 10/माध्यमिक/2004 दिनांक 17–2–2004 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय इण्टर कालेज, आई0डी0पी0एल0 बीरभद्र ऋषिकेश, जनपद देहरादून हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28–2–2006 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह पद शिक्षा विभाग से सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी विधिक रूप में माने जायेगें। इन पदों के पद धारकों को समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ता देय होगें।

क्र० स०	पदनाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	10,000–15,200	01
2.	प्रवक्ता	6500–10,500	11
3.	स0अ0 एल0टी0	5500–9000	20
4.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	01
5.	कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	04
6.	दफ्तरी	2610–3540	01
7.	परिचारक	2550–3200	06
	योग–		44 (चवालीस)

2– चतुर्थ श्रेणी के 06 पद इस प्रतिबन्ध के साथ सृजित किये जाते है कि मानक से अधिक 04 (चार) कनिष्ठतम चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को वार्षिक प्रबन्ध में अन्य विद्यालयों में, जहॉ पद रिक्त हो, स्थानान्तरित किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिकों से रिक्त होने वाले यह 04 पद स्वतः समाप्त हो जायेगें और तब 02 (दों) ही पद सृजित मानें जायेगें।

3– राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकृत इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय से सम्बन्धित व्ययों के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है।

4– प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय राजस्व आय–व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भॉति इस विद्यालय को भी जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक उत्तरांचल द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेगें। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि/भवन आदि सभी चल तथा अचल सम्पत्ति का शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालय की आय में (प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालय की अवशेष क्लेम की वकाया रकम, कोष चंदे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त आय

सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय विना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौप दिये जायेगें। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयें, तो उसका दायित्व शासन पर नही होगा।

5— उपर्युक्त विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहें वर्तमान स्टाफ को, जो प्रान्तीयकरण की तिथि को निर्धारित योग्यता रखते हो, इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा तथा इन पद धारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पद धारकों का राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेगें। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ का वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

6— ऐसे पद धारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हो अथवा जिन्हे शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव न होगा जिन्हे कि उपरोक्त स्वीकृत पदों के समक्ष अस्थायी रूप से नियुक्त कर किया जाय। तदनुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा विपरित क्रम से उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस के अनुसार उनकी सेवा किसी समय भी एक माह की पूर्व नोटिस पर समाप्त कर दी जायेगी। यह कर्मचारी अपनी सेवा शर्तो को जो एक अस्थायी कर्मचारी के अनुरूप होगी, स्पष्ट रूप से स्वीकार करेगें।

7— उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिकशिक्षा—109—राजकीय माध्यमिक विद्यालय—08—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण के नामें डाला जायेगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 04/वित्त अनु0 —4/2005 दिनांक 05—05—2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल— पौड़ी ।
5— जिला शिक्षा अधिकारी— देहरादून।
6— जिलाधिकारी— देहरादून।
7— कोषाधिकारी— देहरादून।
8— अपर सचिव, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
9— संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
10— एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
11— वित्त विभाग।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव